

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईक्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

अधीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
संख्या :- 79/2024
पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

कुलविन्द्र पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया

बनाम

वादी

- अजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया
- गमदूर सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया
- छिन्द्र कौर पत्नी गमदूर सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया
- जगसीरसिंह पुत्र जगीन्द्रसिंह पुत्र परमात्मासिंह जाति जटसिख नि.लीलावाली तह.संगरिया
- सुखजीत कौर पत्नी गुलाबसिंह पुत्र जगीन्द्र सिंह पुत्र परमात्मा सिंह निवासी लोहगढ तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
- वीरपाल कौर पत्नी इकबालसिंह पुत्र जगीन्द्र सिंह पुत्र परमात्मा सिंह जाति जटसिख निवासी मुलतानिया रोड़ जेई की कोठी के पास बटिण्डा पंजाब
- जसवीर कौर पत्नी अजीत सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया
- बलदेवसिंह पुत्र परमात्मासिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया
- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लीलावाली
- तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 27.10.2025



राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहिजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जाकिन मुदई श्री कन्हैया लाल व श्री संजय साहेवाल मिन मिनिकु भुइवाला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

नाम काशतकार मय वल्लियत एवं सकूनात	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
कुलविन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह 0.885 हि. जाति जट सिख निवासी लीलावाली	कुलविन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह 0.885 हि. जाति जट सिख निवासी लीलावाली	प.न. 152/205 मु.न. 27 किला नं. 2/1/0.114,2/3/0.012 गै.मु. खाला, 3/1/0.223, 3/2/0.028 गै.मु. खाला,4/1/0.228, 4/2/0.028 गै.मु. खाला, 5/1/0.228, 5/2/0.028 गै.मु. खाला कुल-0.886 हेक्.
बलदेव सिंह पुत्र परमात्मा सिंह 0.632 हि. जाति जट सिख निवासी लीलावाली	बलदेव सिंह पुत्र परमात्मा सिंह 0.632 हि. जाति जट सिख निवासी लीलावाली	प.न. 150/204 मु.न. 18 किला कि.न. 17/0.1265, 23,24/0 506 कुल-0.6325 हेक्.
जगसीर सिंह पुत्र परमात्मा सिंह 0.632 हि. राहिन एसबीआई लीलावाली जगीन्द्र सिंह पुत्र परमात्मा सिंह 0.633 हि. जाति कुम्हार सिख निवासी लीलावाली	जगसीर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह राहिन 0.632 हि. एसबीआई लीलावाली जाति कुम्हार सिख निवासी लीलावाली	प.न. 150/204 मु.न. 18 किला कि.न. 3/2/0.127, 8,13,14,18/1.012, 17/0. 1265 कुल-1.2655 हेक्.

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सिंह 1.219 हि. गमदूर सिंह 1.219 करनेल सिंह जसवीर कौर पत्नि सिंह 1.845 हि. छिन्द्र कौर पत्नि सिंह 1.012 हि. जाति जट सिसख लीलावाली राहिनान समस्त लीलावाली	अजीत सिंह गमदूर सिंह पि. करनेल सिंह बहिब 3.657 हि. जसवीर कौर पत्नि अजीत सिंह 1.814 हि. छिन्द्र कौर पत्नि गमदूर सिंह 1.012 हि. जाति जट सिसख नि.लीलावाली राहिनान समस्त एसबीआई लीलावाली	बाकी खाता बदस्तूर जमावन्दी 6.683 हेक्.
--	---	---

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है
भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित
ने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है
तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश
जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3148 दिनांक 31.07.2025
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन
करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का
अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट:- तहसीलदार संगरिया ने अपने विभाजन प्रस्ताव में जगीन्द्र सिंह का 0.633 हि. दर्ज राजस्व
रिकार्ड है उस इस पर कब्जा काश्त जगसीर सिंह की होना बताई है जबकि वाद पत्र में
जोगिन्द्र सिंह फौत है इसलिए तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार जगीन्द्र
सिंह के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर इनके नाम दर्ज रकबा का इनके वारिसान के
नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.10.25 को खुले न्यायालय में जारी
किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
महायुक्त कलक्टर एवं
उपरखण्ड अधिकारी,
उपरखण्ड अधिकारी
संगरिया
संगरिया